न्यायालय माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर केम्प उज्जैन (म0प्र0)

प्रकरण क्रं0 आर 1959म0प्र0 विविध-2493-I/14

सुशीलाबाई पति रामचरण आयु 45 वर्ष जाति
कुलमी (पाटीदार) निवासी ग्राम रामडी
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0
--- आवेदीका

दीपक पाटीदार (पुत्र सगा) निवासी रामडी तहसील कालापीपल जिला शाजापुर
15-7-2014

उज्जैन कैम्प पर प्राप्त 15/7/14

26/7/14

विरूद्ध

धापूबाई पति मनोहर आयु 46 वर्ष जाति
कुलमी पाटीदार निवासी ग्राम रामडी
तहसील कालापीपल जिला शाजापुर म0प्र0

---- अनावेदिका

विषय:- माननीयन्यायालय के आदेश का उलंघन करते हुवे अनावेदक द्वारा फसल पर बोनी करने के पश्चात फसल को नुकसान पहुंचाने व बार बार ट्रेक्टर से फसल को नुकसान पहूंचाने विषयक व न्यायालयका आदेश नही मानने व न्यायालय की अवहेलना करने विषयक ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 2493–एक/14 जिला शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–10–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । इस न्यायालय में प्रचलित मूल प्रकरण कमांक निगरान 1959–एक/14 में दिनांक 9–12–2014 को अंतिम आदेश पारित होने से निगरानी समाप्त हो चुकी है इसलिये निगरानी में पारित आदेश अंतरिम आदेश दिनांक 2–7–14 का प्रभाव भी समाप्त हो चुका है । अतः उपरोक्त अंतरिम आदेश का कियान्वयन कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है इसलिये यह प्रकरण प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है। अध्यक्ष	